न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़
पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण सं.– 162/2017 दायरा दिनांकः– 27.09.2017

1. गुन्जन पुत्री सीताराम नाबालिग बजरिये कुदरती बली माता सीमा पत्नी स्व. सीताराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न. 02 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़।
2. सीमा पत्नी सीताराम वर्तमान में पत्नी अमित कुमार दत्तक पुत्र ताराचन्द कुम्हार वार्ड न. 02 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़।
3. अमित कुमार दत्तक पुत्र ताराचन्द पुत्र हरजीराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न. 02 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम

1 ताराचन्द पुत्र हरजीराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न. 02 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़।
2 तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
3 उप – पजीयक कार्यालय सूरतगढ़।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: उपस्थित :–

1. श्री भगवानदत शर्मा एडवोकेट –प्रार्थीगण
2. श्री शिशपाल शर्मा एडवोकेट – अप्रार्थी न. 1
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार – अप्रार्थी न. 2

–:: निर्णय ::– **दिनांक :–17.08.2020**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि चक 10 एसजीआर के पत्थर न. 19/324 के किला न. 7, 11 ता 14, 17 ता 24 में 3.289 हैक. रकबा में 1/3 हिस्सा खातेदारी है यह रकबा उसे पैतृक प्राप्त रकबा है प्रार्थी न. 1 व 2 अप्रार्थी न. 1 के मृतक पुत्र सीताराम के वारिस है प्रार्थी न. 1 सीताराम के फौत हो जाने के बाद प्रार्थी न. 3 को अप्रार्थी न. 1 ने गोद ले लिया था तथा प्रार्थी न. 2 ने प्रार्थीया न. 3 से नाता (पुर्न विवाह) कर लिया तथा प्रार्थीगण हिन्दु मिताक्षरा विधी से शाशित होते है तथा इस रकबा में प्रार्थीगण न. 1 ता 2 का अप्रार्थी के नाम के उक्त रकबा में 1/5, 1/5 हिस्सा यानि 2/5 हिस्सा व प्रार्थी न. 3 का 1/5 हिस्सा यानि अप्रार्थी न. 1/3 के हिस्सा में 3/15 हिस्सा बनता है तथा अप्रार्थी न. 1 इस रकबा को बैचान पर उतारू है अगर उसने इस रकबा को बैचान कर दिया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान हो गया इसलिये अप्रार्थी न. 1 के नाम के उक्त रकबा के लिये दावा के निर्णय तक रहन बैचान व यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई व दिनाक 27.09.2017 को शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये अप्रार्थी को उसके नाम के उक्त रकबा चक 10 एसजीआर के पत्थर न. 19/324 के 1/3 हिस्सा को रहन बैय ना करने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा प्रार्थी के अधिवक्ता ने इस अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के निर्णय तक स्थाई करने का निवेदन किया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी न. 1 ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त रकबा अप्रार्थी न. 1

शेष पेज ..... 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:54:28 IST
Reason: SelfAttested

का पैतृक रकबा यानि दादा पड़दादा से प्राप्त रकबा नही है यह रकबा अप्रार्थी न. 1 के पिता के फौत होने के बाद उसकी माता रूकमा व बहिन कमला देवी – कृष्णादेवी – शकुन्तला ने दस्तबरदारी से अपने तीनो बेटे/भाईयो के पक्ष में निष्पादित की इस प्रकार दस्तबरदारी से जो रकबा प्राप्त हुआ है व स्वअर्जित रकबा है तथा अप्रार्थी न. 3 जो कि गोदनामा से हक लेना चाहता है वो गोदनामा माननीय अपर जिला न्यायाधीश ने प्रकरण सख्या 13/2015 में पारित निर्णय दिनाक 31.07.2019 को निरस्त किया जा चुका है तथा प्रार्थी न. 2 ने प्रार्थी न. 3 से पुर्न विवाह कर लिया है इसलिये उसका इस रकबा में कोई भी हक नही बनता है तथा जब मृतक सीताराम स्वयं का इस रकबा में कोई हक नही बनता हे तो उसके फौत होने के बाद उसके वारिसो का कोई ज्यादा हक नही बनता तथा प्रार्थीया न. 1 का पालन पोषण के लिये अप्रार्थी न. 1 का सिविल न्यायालय सूरतगढ़ में प्रकरण सख्या 17/18 बअनवान ताराचन्द बनाम सीमा से गुन्जन के लिये धारा 25 गार्जियन एक्ट बार्डस एक्ट 1890 में प्रकरण जैरकार है तथा अप्रार्थी न. 1 का उसके भाईयो के साथ खाता विभाजन हो चुका है अप्रार्थी न. 1 जैरप्रकरण रकबा का रिकॉर्डड खातेदार है तथा रिकॉर्डड खातेदार के खिलाफ कब्जा अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही हो सकती इसलिये कानूनी नजीर RLW 2004 पेज 609, RRT 2011 पेज 612, RRT 2010 पेज 1392, RRT 2007 (1) पेज 733 पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया यह बात सही है कि प्रार्थी न. 3 का गोदनामा अपर जिला एंव सेशन न्यायालय ने खारिज कर दिया है तथा जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थी न. 1 को अपनी माता व बहिनो से दस्तबरदारी से भी प्राप्त है तथा प्रार्थीया न. 2 ने पुर्न विवाह भी अप्रार्थी न. 1 के साथ कर लिया है तथा प्रार्थी न. 1 से गार्जियन बाबत सिविल न्यायालय में उभयपक्ष के प्रकरण जैरकार है तथा अप्रार्थी न. 1 का उसके भाईयो के साथ खाता विभाजन होकर इस प्रकरण से पूर्व ही चक 10 एसजीआर के पत्थर न. 19/324 का किला न. 7/0.253, 11/0.169, 12/0.253, 13/0.169, 17/0.013, 14/0.253 हैक. इस प्रकार कुल 1.110 हैक. नहरी रकबा खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है तथा अप्रार्थी न. 1 रिकॉर्डड खातेदार है तथा प्रार्थीगण का मौका पर कब्जा काश्त हो, के बाबत भी कोई साक्ष्य पेश नही किया इसलिये रिकॉर्डड खातेदार के खिलाफ उसके नाम के रकबा के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से प्रथ दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन तथा ना पूरा होने वाला नुकसान प्रार्थीगण को ना होकर अप्रार्थी न. 1 को हो रहा है इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार करना कतई उचित नही है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आरटीए आधारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में जारी अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनाक 29.07.2017 निरस्त की जाती है।

फैसला सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:54:28 IST
Reason: SelfAttested